

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छत्तीसगढ़)

☎ : (0771) 2523769, 2888509, Fax :- 2886152 - E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./विविध/ ४२२५

रायपुर, दिनांक ३/१२/२०२०

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध/व.सं.अ)

छ.ग. अटल नगर रायपुर

विषय:—Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Gariyaband Division " Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM The Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 19.099 ha. regarding पंजीयन क्रमांक -FP/CG/OFC/43120/2019

संदर्भ:—1.आपका पृ.क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध /115-833/983 नया रायपुर दि. 26.05.2020
2.वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल, गरियाबंद का पत्र क्र./मा.चि. /भू-प्रबंध/ 1260 गरियाबंद, दिनांक 24.11.2020

—00—

उपरोक्त विषयातर्गत निवेदन है, कि विषयांकित प्रकरण (भारत नेट फेज-II परियोजना) में संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के माध्यम से 05 बिन्दुओं पर कमियाँ पाई गयी है ।

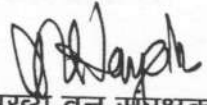
उपरोक्त 05 बिन्दुओं पर पाई गयी कमियों की पूर्ति आवेदक संस्थान से कराकर प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित संदर्भित पत्र 02 के माध्यम से वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है । जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:—

क्रमांक	कमियाँ	पूर्ति
1	From A Part-II के कॉलम नं.-15 भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है परन्तु ऑन लाईन के कॉलम में Yes लिखा गया है जिसे No किया जाये ।	From A Part-II के कॉलम नं.-15 भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा No किया गया है ।
2	वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकारी पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण -पत्र ऑन लाईन अपलोड नहीं किया गया है जिसे अपलोड करे ।	वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर कार्यालय से ऑन लाईन अपलोड कर लिया गया हैं । अपलोड की प्रति संलग्न है ।
3	From A Part-II के कॉलम नं.- 16 कॉलम-16 में पार्ट-3 अपलोड नहीं किया गया है ।	From A Part-II के कॉलम नं.- 16 कॉलम-16 में पार्ट-3 अपलोड किया गया है ।

4	प्रपत्र -3 में वन मंडलाधिकारी की निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।	प्रपत्र-3 में वन मंडलाधिकारी की निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव में पृष्ठ क्रमांक 75 से 104 में संलग्न हैं।
5	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 13 में लेख अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है, उक्त बाबत स्थिति स्पष्ट करे। छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 12.02.2010 का उल्लेख आवरण पत्र में है, जिसकी छायाप्रति भेजी जावे।	कलेक्टर जिला गरियाबंद के द्वारा प्रदाय अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार पत्र धारक नहीं है।

उपरोक्त प्रतिवेदन अवलोकन उपरान्त सहमति व्यक्त करते हुये आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

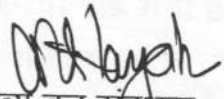

मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)
रायपुर, दिनांक 3/12/2020

पृ. क्रमांक/तक.शा./विविध/8225

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)


03/12/2020